

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4156] No. 4156] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 2018/आश्विन 30, 1940

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 2018/ASVINA 30, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2018

का. आ. 5347(अ).—यतः, मै. एचिसएल टेक्नोलोजिज लिमिटेड, ने आन्ध्रा प्रदेश राज्य में विजयवाडा, गानावाराम मडंल, एनएच-5 केसरापाल्ली गांव, सर्वे नम्बर 20/3 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आई.टी/आई.टी.ई.एस.) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतू विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अतंर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया हैं और उनको उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतू उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अतंर्गत दिनांक 09 जुलाई, 2018 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त स्थान के 10.43 **हेक्टेयर** के नीचे दी गई तालिका में दिए गए खसरा नबंर के क्षेत्र को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण नम्बर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	केसरापाल्ली	20/3	10.43
	कुल		10.43

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक सिमित, जिसे अनुमोदन सिमिती कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार है, अर्थात्ः—

1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त अध्यक्ष,	पदेन
--	------

6158GI/2018 (1)

2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एंव उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका	सदस्य, पदेन
	नामिती जिसका स्तर अपर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	
	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेशे व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सदस्य, पदेन
	आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	
5.	विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती	सदस्य, पदेन
	जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	
	निदेशक (बैंकिंग), वित मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार	सदस्य, पदेन
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं	सदस्य, पदेन
	होगा	
8.	जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि	विशेष, आंमत्रिती

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2018 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/2/2018-एसईजेड] बी. बी. स्वेन. अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2018

S.O.5347 (E).—WHEREAS, M/s. HCL Technologies Limited has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Sector Specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Sy. No. 20/3, Kesarapalli Village, NH-5, Gannaavaram Mandal, Vijayawada, Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 9th July, 2018;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the **10.43 hectares** area at above location with survey number given in the table below as a Special Economic Zone, namely:

TABLE

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in hectares)
1.	Kesarapalli	20/3	10.43
	Total		10.43

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson ex officio;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of	
	Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below	
	the rank of Under Secretary to the Government of India	
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction	Member ex officio;
	over the Special Economic Zone	
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over	Member ex officio;

	the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint	
	Commissioner	
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special	Member ex officio;
	Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government	Member ex officio;
	of India	
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State	Member <i>ex officio</i> ;
	Government	
8.	Representative of the Developer of the zone	Special invitee

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 17th day of October, 2018 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F.1/2/2018-SEZ] B.B. SWAIN, Addl. Secy.